संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2855 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

डॉ. एन.के. जैन,
तत्कालीन एवं वर्तमान मेंप्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।

विषयः–डॉ. एन.के. जैन तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. एन.के. जैन तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 17.03.17 से 01.02.2018 तक पदस्थ थे ।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2019 को जिला चिकित्सालय सिंगरौली के औषधि भंडार का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि जिला चिकित्सालय का ओ.पी.डी. रिकार्ड का निरीक्षण इंजेक्शन ए. आर.व्ही. के लिए किया गया जिसमें पाया गया कि ओ.पी.डी. रिकार्ड, मरीजों को दिये जाने वाले इंजेक्शन के वास्तविक रिकार्ड से मिलान नहीं हो रहा है ।

यह कि औषधि भंडार ग्रह के रिकार्ड में पाया गया कि जिला चिकित्सालय के स्टोर से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के औषधि भण्डार ग्रह को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के 120 वॉयल जारी किये गये जो रिकार्ड में ड्रग इंस्पेक्टर को इश्यू किए किए।

यह कि इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के संबंध में मरीजों को लिखी जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन पर्ची का अवलोकन किया गया, जो कि स्पेसिफाईड फार्मेट में नहीं पाये गये । वित्तीय 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 से निरीक्षण दिनांक तक इंजेक्शन ए.आर.व्ही. का एम.पी.औषधि साफ्टवेयर से निकाला गया डाटा तथा इंजेक्शन ए.आर.व्ही. का मरीजों को दिया जाने वाला इंजेक्शन रूम का डाटा, ना तो आपस में मैच पाया गया और ना ही अन्य कोई संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति हुई । इस प्रकार आप जिला चिकित्सालय सिंगरौली में प्रभावी नियंत्रण करने में पूर्णतः विफल रहे हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

.....2

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ 2856 **भोपाल दिनांक** 5/10/19.

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टीप दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. एन.के. जैन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

Injection ARV के संबंध में जिला सिंगरौली का निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान् प्रबन्ध संचालक, महोदय मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. के आदेशानुसार जिला सिंगरौली के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/जिला चिकित्सालय एवं अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के औषधि भण्डार गृह एवं Injection ARV की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण कार्पोरेशन के निम्नानुसार गठित दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई, 2019 को किया गया जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन बिंदुवार प्रस्तुत है।

निरीक्षण दल में उपस्थित सदस्यों के नाम –

1. डॉ. हेमन्त कुमार पंचोली, महाप्रबंधक (उपार्जन) मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
2. श्री अतुल कुलकर्णी, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी–डैक, पी.एम.यू.सेल, भोपाल।
3. श्री हरीश गुप्ता, प्रबंधक (लॉजिस्टिक) मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।

जिला चिकित्सालय सिंगरौली का निरीक्षणः–

- दल द्वारा सर्वप्रथम जिला चिकित्सालय सिंगरौली का ओ.पी.डी. रिकार्ड का निरीक्षण Injection ARV के लिए किया गया जिसमें पाया गया कि, ओ.पी.डी. रिकार्ड, मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन के वास्तविक रिकार्ड से मिलान नहीं हो रहा है।
- औषधि भण्डार गृह के रिकार्ड में पाया गया कि, जिला चिकित्सालय स्टोर से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के औषधि भण्डार गृह को Injection ARV के 120 वॉयल जारी किए गए जो रिकार्ड में ड्रग इंस्पेक्टर को इश्यु किए गए।

Sum of Issue Qty.(in No.)		Issue FY			
Indenting Store Name	Issue Store	2017-18	2018-19	2019-20	Grand Total
Drug Inspector - Singrouli-CS	Singrouli-CS		120		120

- Injection ARV के संबंध में मरीजों को लिखे जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन पर्ची का अवलोकन किया गया, जो कि स्पेसिफाईड प्रिस्क्रिप्शन फार्मेट में नहीं पाए गए।
- वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से निरीक्षण दिनांक तक Injection ARV का "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर से निकाला गया डेटा तथा Injection ARV का मरीजों को दिया जाने वाला Injection room का डाटा, ना तो आपस में मैच पाया गया और ना ही अन्य कोई संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति हुई।

Store Name	17-18	18-19	19-20 till 19-07-2019	Diff of 17-18 and 18-19	% deviation
Singrouli-CS	2040	4747	1728	2707	132.70

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिंगरौली के औषधि भण्डार गृह का निरीक्षण:--

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा Injection ARV हेतु कितने क्रयादेश जारी किए गए हैं, का निरीक्षण किया गया।
- स्टॉक रजिस्टर में सप्लायर से प्राप्त की गई Injection ARV तथा इंडेटर इश्यु रजिस्टर का परीक्षण किया गया।
- परीक्षण में ज्ञात हुआ कि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी औषधि भण्डार गृह के द्वारा, जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को इंडेण्ट इश्यु/रिसीविंग संबंधी "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर के लॉगइन पासवर्ड क्रिडेन्शियल स्वयं ही संधारित किए गए थे। यह भी देखने में आया कि, CMHO Store स्वयं के स्तर पर उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को Injection ARV सप्लाई/इश्यु Show करा देता था लेकिन भौतिक रूप से CHC/PHC को नहीं मिलता था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी जिला सिंगरौली का निरीक्षण:--

- जिला सिंगरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी के औषधि भण्डार गृह में पाया गया कि, स्टोर के एकमात्र आई.एल.आर. फ्रिज में Injection ARV के 38 वॉयल का बॉक्स खुला हुआ एवं 45 वॉयल का बॉक्स पैक रखा हुआ है। रिकार्ड की जानकारी ली गई तब ज्ञात हुआ कि, स्टॉक रजिस्टर में मात्र 38 वॉयल शो हो रहे हैं। जबकि 45 बॉक्स का पैक बॉक्स स्टोर इंचार्ज के अनुसार ओ.पी.डी. के लिए इश्यु किया जा चुका था, जानकारी लेने पर स्टोर कीपर द्वारा Explain किया गया कि, ओ.पी.डी. में रखने पर वॉयल गायब हो जाने का अंदेशा रहता है। अतः उक्त स्टेटमेंट भी संदेहास्पद प्रतीत होता है।
- तत्पश्चात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी अस्पताल के इंजेक्शन कक्ष का निरीक्षण किया गया एवं पेशेन्ट को Injection ARV लगाने के वास्तविक रिकार्ड का निरीक्षण किया जिसमें Month wise Injection ARV की खपत की गणना रिकार्ड से की गई जिसमें पाया गया कि "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्टोर से Injection ARV की जो मात्रा सी.एच.सी. चितरंगी को जारी की गई थी, वह सी.एच.सी. चितरंगी को जारी मात्रा से मेल नहीं खा रही थी। साथ ही इंडेण्ट रजिस्टर में केवल Injection ARV को पेशेन्ट को लगाने के पश्चात् रिमार्क में [HS] शब्द का उपयोग

किया जा रहा था जिसका संबंधित स्टॉफ से स्पष्टीकरण लिए जाने पर बताया गया कि HS शब्द का आशय Hospital Supply से है एवं मात्र Injection ARV के आगे ही रिमार्क पर Hospital Supply अंकित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया पर भी संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। संबंधित स्वास्थ्य संस्था में Injection ARV के पेशेन्ट को लगाने वाले रिकार्ड अनुसार चिकित्सक का लिखा हुआ Prescription उपलब्ध नहीं करा पाए एवं जो रिकार्ड से क्रास मैच भी नहीं हुए है। कुछ Prescription नमूने देखे गए जो की Prescription format अनुसार नहीं पाए गए।

- एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आया कि, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी में निरीक्षण के दौरान एक ओ.पी.डी. पर्ची, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर 29096 दिनांक 08 सितम्बर, 2019 अंकित था। जिस पर चिकित्सक द्वारा भी उक्त दिनांक 08 सितम्बर, 2019 को ही जारी होना बताया गया जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, भण्डारण/वितरण में अत्यधिक अनियमित्ता बरती गई एवं आगामी तिथि की भी ओ.पी.डी. पर्चियां बनाकर रख दी गई। **(संलग्न)**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर जिला सिंगरौली का निरीक्षण दिनांक 23 जुलाई, 2019 को किया गया जिसके निरीक्षण बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संस्था में निरीक्षण करने पर स्टोर का स्टॉक निल पाया गया।
- संबंधित संस्था के ओ.पी.डी. वार्ड में मात्र 38 वॉयल मौके पर पाए गए।
- निरीक्षण में चिकित्सक द्वारा लिखा गया Prescription एवं पेशेन्ट की रिकार्ड पंजी संधारित नहीं पायी गई। इंजेक्शन कक्ष में पेशेन्ट को इंजेक्शन लगाए जाने का रिकार्ड नहीं पाया गया।
- ओ.पी.डी. में Prescription के आधार पर मरीजों को दवा वितरण कक्ष से सीधे ही Injection ARV हेण्डओवर किया जा रहा था। जो Injection ARV के बाहर जाने हेतु संशय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में कंपाउंडर के कथन लिए गए जो संलग्न है।
- Prescription Slip एवं दवा वितरण रिकार्ड Mismatched थे। Injection ARV के पेशेन्ट को खांसी/सर्दी के मरीज के रूप में तथा खांसी/सर्दी के मरीज को Injection ARV के रूप में पंजी में एन्ट्री पायी गई।
- Prescription रिकार्ड संधारित नहीं पाया गया।

निष्कर्षः उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर परिलक्षित होता है कि, जिला सिंगरौली के निरीक्षण के दौरान Injection ARV के भण्डारण/वितरण में जिला स्तर से लेकर नीचे की स्वास्थ्य संस्थाओं तक लापरवाही बरती गयी, जिससे आम जनमानस को उक्त सुविधा की लाभ मिलने से वंचित होना पडा एवं Injection ARV की Crisis की स्थिति उत्पन्न हुई। जिसके लिए जिला स्तर से लेकर अधिनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। उपरोक्त को देखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा गठित दल द्वारा की जाती है।

जिला सिंगरौली के निरीक्षण पश्चात् स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि, जिस प्रकार संपूर्ण प्रदेश में Injection ARV की Crisis देखने को मिल रही है उसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी Injection ARV के भण्डारण एवं वितरण हेतु औचक निरीक्षण किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे कि लोकहित में आम जनमानस को उक्त सुविधा का लाभ निःशुल्क एवं प्रभावी रूप से मिल सके।

उक्त स्थिति निर्मित ना हो इस हेतु औषधियों पर बार–कोडिंग करते हुए सप्लाई चैन मॉनिटिरिंग करना अत्यधिक आवश्यक है एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में औषधियों के भण्डारण एवं वितरण ऑनलाईन औषधि सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक स्तर पर औषधियों की अद्यतन स्थिति पर नजर रखी जा सके।

संलग्नः दस्तावेजों की सूची पृष्ठ क्रमांक 01 से 91 तक।

(हरीश गुप्ता)
प्रबंधक (लॉजिस्टिक)
म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल

(अतुल कुलकर्णी)
प्रोजेक्ट मैनेजर
सी–डैक,पी.एम.यू.सेल, भोपाल

(डॉ. हेमन्त कुमार पंड्रोली)
महाप्रबंधक (उपार्जन)
म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2857 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

डॉ. राजेश सिंह वैश्य,
तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
चितरंगी, जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।
वर्तमान में–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लंघादौल, जिला सिंगरौली

विषयः–डॉ. राजेश सिंह वैश्य तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. राजेश सिंह वैश्य, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 01.04.17 से 31.03.2019 तक पदस्थ थे ।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिगरौली एवं औषधि भंडार गृह का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी के स्टोर के फ्रिज में इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के 83 वॉयल रखे हुए पाये गये जबकि स्टाक रजिस्टर में मात्र 38 वॉयल प्रदर्शित हो रहे थे । जानकारी लेने स्टोर इंचार्ज द्वारा 45 वॉयल ओ.पी.डी. को इश्यु होना बताया गया एवं स्टोर कीपर द्वारा बताया किया गया कि ओ.पी.डी. में रखने पर बॉयल गायब हो जाने का अंदेशा रहता है । उक्त स्टेटमेंट भी संदेहास्पद प्रतीत होता है ।

यह कि केन्द्र में इंजेक्शन कक्ष के निरीक्षण एवं पेशेन्ट को इंजेक्शन ए.आर. व्ही. लगाने के वास्तविक रिकार्ड का माहवार मिलान करने पर पाया गया कि एम. पी. औषधि साफट्वेयर अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्टोर से इंजेक्शन ए.आर.व्ही. की जो मात्रा सी.एच.सी. चितरंगी को जारी की गई का मिलान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी में प्राप्त मात्रा से होना नहीं पाया गया । केन्द्र के इंडेण्ट रजिस्टर में इंजेक्शन ए.आर.व्ही. को पेशेन्ट को लगाने के पश्चात रिमार्क में (एच.एस.) हास्पिटल सप्लाई अंकित किया गया है एवं इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के पेशेन्ट को लगाने के रिकार्ड अनुसार चिकित्सक का लिखा प्रिस्क्रिप्शन का मिलान नहीं हुआ और न ही प्रिस्क्रिप्शन निर्धारित प्रोफार्मा में पाई गई । इस प्रकार आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उचित संचालन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण करने में असफल रहे है । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है ।

.....2

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक
प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टी० दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. राजेश सिंह वैश्य तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2859 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

डॉ. भूपेन्द्र सिंह
प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
चितरंगी, जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।

विषयः–डॉ. भूपेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. भूपेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 01.04.19 पदस्थ थे ।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिगरौली के अस्पताल एवं औषधि भंडार गृह का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी के स्टोर के फ्रिज में इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के 83 वॉयल रखे हुए पाये गये जबकि स्टाक रजिस्टर में मात्र 38 वॉयल प्रदर्शित हो रहे थे । जानकारी लेने स्टोर इंचार्ज द्वारा 45 वॉयल ओ.पी.डी. को इश्यु होना बताया गया एवं स्टोर कीपर द्वारा बताया किया गया कि ओ.पी.डी. में रखने पर बॉयल गायब हो जाने का अंदेशा रहता है । उक्त स्टेटमेंट भी संदेहास्पद प्रतीत होता है ।

यह कि केन्द्र में इंजेक्शन कक्ष के निरीक्षण एवं पेशेन्ट को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. लगाने के वास्तविक रिकार्ड का माहवार मिलान करने पर पाया गया कि एम.पी. औषधि साफट्वेयर अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्टोर से इंजेक्शन ए.आर.व्ही. की जो मात्रा सी.एच.सी. चितरंगी को जारी की गई का मिलान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी में प्राप्त मात्रा से होना नहीं पाया गया । केन्द्र के इंडेण्ट रजिस्टर में इंजेक्शन ए.आर.व्ही. को पेशेन्ट को लगाने के पश्चात रिमार्क में (एच.एस.) हास्पिटल सप्लाई अंकित किया गया है एवं इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के पेशेन्ट को लगाने के रिकार्ड अनुसार चिकित्सक का लिखा प्रिस्क्रिप्शन का मिलान नहीं हुआ और न ही प्रिस्क्रिप्शन निर्धारित प्रोफार्मा में पाई गई । इस प्रकार आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण करने में असफल रहे है ।

यह कि केन्द्र में निरीक्षण के दौरान एक ओ.पी.डी. पर्ची क्रमांक 29096 दिनांक 08..09.2019 पाई गई जिस पर चिकित्सक द्वारा भी उक्त दिनांक को ही पर्ची जारी होना बताया गया है जिससे परिलक्षित होता है कि आगामी तिथि की भी ओ.पी.डी. पर्चियां बनाकर रख दी गई है एवं भण्डारण / वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है ।

...2

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक
प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टीप दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. भूपेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चितरंगी जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एन.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2861 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

डॉ. छोटेलाल सिंह
प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
देवसर, जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।

विषयः–डॉ. छोटेलाल सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. छोटेलाल सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी देवसर स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 01.04.2017 से निरंतर पदस्थ है ।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिगरौली के अस्पताल एवं औषधि भंडार गृह का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर के निरीक्षण करने पर स्टोर का स्टाक निल पाया गया । संस्था के ओ.पी.डी. बार्ड में मात्र 38 वॉयल मौके पर पाए गए । निरीक्षण में चिकित्सक द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन एवं पेशेन्ट की रिकार्ड पंजी तथा इंजेक्शन लगाये जाने का रिकार्ड संधारित नहीं पाया गया । ओ.पी.डी. में प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मरीजों को दवा वितरण कक्ष से सीधे ही इंजेक्शन ए.आर. व्ही वितरण किया जा रहा था जो इंजेक्शन ए.आर.व्ही के बाहर जाने हेतु संशय की स्थिति को प्रदर्शित करता है । प्रिस्क्रिप्शन पर्ची एवं दवा वितरण कक्ष के रिकार्ड में भिन्नता थी । इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के मरीज को खांसी / सर्दी के मरीज के रूप में एवं खांसी / सर्दी के मरीज को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के मरीज के रूप में पंजी में एन्ट्री पाई गई । प्रिस्क्रिप्शन रिकार्ड संधारित नहीं पाया गया । इस प्रकार आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में असफल रहे है । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

.....2

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टीप दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. छोटेलाल सिंह तत्कालीन प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2863 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

डॉ. राजेश श्रीवास्तव,
तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।
वर्तमान में–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उमरिया ।

विषयः–डॉ. राजेश श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. राजेश श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 30.11.2016 से 23.05.2018 तक पदस्थ थे ।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2019 को जिला सिगरौली के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के औषधि भंडार ग्रह का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा इंजेक्शन ए.आर.व्ही. हेतु कितने क्रयादेश जारी किये गये का निरीक्षण किया गया । स्टाक रजिस्टर में सप्लायर से प्राप्त की गई इंजेक्शन ए.आर.व्ही. तथा इंडेटर इश्यू रजिस्टर का परीक्षण किया गया । परीक्षण में यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी औषधि भंडार ग्रह के द्वारा जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को इंडेट इश्यू / रिसिविंग संबंधी "एम.पी. औषधि" सॉफटवेयर के लॉगइन पासवर्ड क्रिडेन्शियल स्वयं ही संधारित किए गये थे । यह भी देखने में आया कि सी.एम.एच.ओ. स्टोर स्वयं के स्तर पर उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. सप्लाई / इश्यू करा देता था लेकिन भौतिक रूप से सीएचसी / पीएचसी संस्था को नहीं मिलता था । इस प्रकार आप अधीनस्थ संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने में पूर्णतः विफल रहें है । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्लकों सहित संलग्न है ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई तथा अधीनस्थ संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रहें हैं । जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

8/5/10
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

.....2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टीप दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली/उमरिया म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. राजेश श्रीवास्तव तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली/उमरिया म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2865 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

डॉ. आर.पी. पटेल,
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।

विषयः–डॉ. आर.पी. पटेल,प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. आर.पी. पटेल, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 24.05.18 से निरंतर एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली के पद पर दिनांक 01.08.18 से निरंतर पदस्थ हैं ।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2019 को जिला सिगरौली के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के औषधि भंडार एवं जिला चिकित्सालय सिंगरौली के औषधि भंडार जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण का किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि जिला चिकित्सालय सिंगरौली के निरीक्षण में ओ.पी.डी. रिकार्ड का निरीक्षण इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के लिए किया गया जिसमें पाया गया कि ओ.पी.डी. रिकार्ड, मरीजों को दिये जाने वाले इंजेक्शन के वास्तविक रिकार्ड से मिलान नहीं हो रहा है । जिला चिकित्सालय के औषधि भंडार गृह से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के औषधि भण्डार ग्रह को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के 120 वॉयल जारी किये गये जो रिकार्ड में ड्रग इंस्पेक्टर को इश्यू किए किए।

यह कि इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के संबंध में मरीजों को लिखी जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन पर्ची का अवलोकन किया गया, जो कि स्पेसिफाईड फार्मेट में नहीं पाये गये । वित्तीय 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 से निरीक्षण दिनांक तक इंजेक्शन ए.आर.व्ही. का एम.पी.औषधि साफ्टवेयर से निकाला गया डाटा तथा इंजेक्शन ए.आर.व्ही. का मरीजों को दिया जाने वाला इंजेक्शन रूम का डाटा, ना तो आपस में मैच पाया गया और ना ही अन्य कोई संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति हुई ।

यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली के औषधि भंडार गृह का निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा इंजेक्शन ए. आर.व्ही. हेतु कितने क्रयादेश जारी किये गये का निरीक्षण किया गया । स्टाक रजिस्टर में सप्लायर से प्राप्त की गई इंजेक्शन ए.आर.व्ही. तथा इंडेटर इश्यू रजिस्टर का परीक्षण किया गया । परीक्षण में यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी औषधि भंडार ग्रह के द्वारा जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को इंडेट इश्यू / रिसिविंग संबंधी "एम.पी. औषधि" सॉफटवेयर के लॉगइन पासवर्ड क्रिडेन्शियल स्वयं ही संधारित किए गये थे ।

....2

यह भी देखने में आया कि सी.एम.एच.ओ. स्टोर स्वयं के स्तर पर उपरोक्त प्रकिया द्वारा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. सप्लाई/इश्यू करा देता था लेकिन भौतिक रूप से सीएचसी/पीएचसी संस्था को नहीं मिलता था । इस प्रकार आप अधीनस्थ संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण करने में पूर्णतः विफल रहें हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्लकों सहित संलग्न है ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

8/4/10
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टीप दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. आर..पी. पटेल प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

8/4/10
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–1 / सिंगरौली / 2019 / 2875 भोपाल दिनांक 5/10/19

प्रति,

श्री लल्लू जयसवाल,
प्रभारी स्टोर कीपर / ड्रेसर ग्रेड–2,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
देवसर, जिला– सिंगरौली (मध्यप्रदेश) ।

विषयः–श्री लल्लू जयसवाल, प्रभारी स्टोर कीपर / ड्रेसर ग्रेड–2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली म.प्र. के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप श्री लल्लू जयसवाल, ड्रेसर ग्रेड–2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली में अप्रेल 17 से नवम्बर 17 एवं जनवरी 2019 से निरंतर प्रभारी स्टोर कीपर के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई 2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिगरौंली एवं औषधि भंडार का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख है–

यह कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टोर स्टाक निल पाया गया, संस्था के ओ.पी.डी. वार्ड में 38 वॉयल मौके पर पाये गये । ओ.पी.डी. में प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मरीजों को दवा वितरण कक्ष से सीधे ही इंजेक्शन ए.आर.व्ही. हेण्डओवर किया जा रहा था जो इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के बाहर जाने हेतु संशय की स्थिति को प्रदर्शित करता है । प्रिस्क्रिप्शन पर्ची एवं दवा वितरण कक्ष के रिकार्ड में भिन्नता थी । इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के मरीज को सर्दी खांसी के मरीज के रूप में एवं सर्दी खांसी के मरीज को इंजेक्शन ए.आर.व्ही. के रूप में पंजी में एन्ट्री पायी गई । इस प्रकार आपके द्वारा इंजेक्शन ए.आर.व्ही. का भण्डारण एवं वितरण में लापरवाही बरती जाना पाया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है।

उक्त कृत्य करके आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की गई है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है । आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

5/10
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश 2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पबिलक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लि. की ओर उनकी टीप दिनांक 298 दिनांक 05.08.19 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति लल्लू जयसवाल, प्रभारी स्टोर कीपर/ड्रेसर ग्रेड–2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

(2)

Injection ARV के संबंध में जिला सिंगरौली का निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान् प्रबन्ध संचालक, महोदय मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. के आदेशानुसार जिला सिंगरौली के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/जिला चिकित्सालय एवं अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के औषधि भण्डार गृह एवं Injection ARV की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण कार्पोरेशन के निम्नानुसार गठित दल द्वारा दिनांक 22 एवं 23 जुलाई, 2019 को किया गया जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन बिंदुवार प्रस्तुत है।

निरीक्षण दल में उपस्थित सदस्यों के नाम –

1. डॉ. हेमन्त कुमार पंचोली, महाप्रबंधक (उपार्जन) मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।
2. श्री अतुल कुलकर्णी, प्रोजेक्ट मैनेजर, सी–डैक, पी.एम.यू.सेल, भोपाल।
3. श्री हरीश गुप्ता, प्रबंधक (लॉजिस्टिक) मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल।

जिला चिकित्सालय सिंगरौली का निरीक्षणः–

- दल द्वारा सर्वप्रथम जिला चिकित्सालय सिंगरौली का ओ.पी.डी. रिकार्ड का निरीक्षण Injection ARV के लिए किया गया जिसमें पाया गया कि, ओ.पी.डी. रिकार्ड, मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन के वास्तविक रिकार्ड से मिलान नहीं हो रहा है।
- औषधि भण्डार गृह के रिकार्ड में पाया गया कि, जिला चिकित्सालय स्टोर से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के औषधि भण्डार गृह को Injection ARV के 120 वॉयल जारी किए गए जो रिकार्ड में ड्रग इंस्पेक्टर को इश्यु किए गए।

Sum of Issue Qty.(in No.)		Issue FY			
Indenting Store Name	Issue Store	2017-18	2018-19	2019-20	Grand Total
Drug Inspector - Singrouli-CS	Singrouli-CS		120		120

- Injection ARV के संबंध में मरीजों को लिखे जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन पर्ची का अवलोकन किया गया, जो कि स्पेसिफाईड प्रिस्क्रिप्शन फार्मेट में नहीं पाए गए।
- वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से निरीक्षण दिनांक तक Injection ARV का "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर से निकाला गया डेटा तथा Injection ARV का मरीजों को दिया जाने वाला Injection room का डाटा, ना तो आपस में मैच पाया गया और ना ही अन्य कोई संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति हुई।

Store Name	17-18	18-19	19-20 till 19-07-2019	Diff of 17-18 and 18-19	% deviation
Singrouli-CS	2040	4747	1728	2707	132.70

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिंगरौली के औषधि भण्डार गृह का निरीक्षण:--

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा Injection ARV हेतु कितने क्रयादेश जारी किए गए हैं, का निरीक्षण किया गया।
- स्टॉक रजिस्टर में सप्लायर से प्राप्त की गई Injection ARV तथा इंडेटर इश्यु रजिस्टर का परीक्षण किया गया।
- परीक्षण में ज्ञात हुआ कि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी औषधि भण्डार गृह के द्वारा, जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को इंडेण्ट इश्यु/रिसीविंग संबंधी "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर के लॉगइन पासवर्ड क्रिडेन्शियल स्वयं ही संधारित किए गए थे। यह भी देखने में आया कि, CMHO Store स्वयं के रतर पर उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को Injection ARV सप्लाई/इश्यु Show करा देता था लेकिन भौतिक रूप से CHC/PHC को नहीं मिलता था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी जिला सिंगरौली का निरीक्षण:--

- जिला सिंगरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी के औषधि भण्डार गृह में पाया गया कि, स्टोर के एकमात्र आई.एल.आर. फ्रिज में Injection ARV के 38 वॉयल का बॉक्स खुला हुआ एवं 45 वॉयल का बॉक्स पैक रखा हुआ है। रिकार्ड की जानकारी ली गई तब ज्ञात हुआ कि, स्टॉक रजिस्टर में मात्र 38 वॉयल शो हो रहे हैं। जबकि 45 बॉक्स का पैक बॉक्स स्टोर इंचार्ज के अनुसार ओ.पी.डी. के लिए इश्यु किया जा चुका था, जानकारी लेने पर स्टोर कीपर द्वारा Explain किया गया कि, ओ.पी.डी. में रखने पर वॉयल गायब हो जाने का अंदेशा रहता है। अतः उक्त स्टेटमेंट भी संदेहास्पद प्रतीत होता है।
- तत्पश्चात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी अस्पताल के इंजेक्शन कक्ष का निरीक्षण किया गया एवं पेशेन्ट को Injection ARV लगाने के वास्तविक रिकार्ड का निरीक्षण किया जिसमें Month wise Injection ARV की खपत की गणना रिकार्ड से की गई जिसमें पाया गया कि "एम.पी.औषधि" सॉफ्टवेयर अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्टोर से Injection ARV की जो मात्रा सी.एच.सी. चितरंगी को जारी की गई थी, वह सी.एच.सी. चितरंगी को जारी मात्रा से मेल नहीं खा रही थी। साथ ही इंडेण्ट रजिस्टर में केवल Injection ARV को पेशेन्ट को लगाने के पश्चात् रिमार्क में [HS] शब्द का उपयोग

किया जा रहा था जिसका संबंधित स्टॉफ से स्पष्टीकरण लिए जाने पर बताया गया कि HS शब्द का आशय Hospital Supply से है एवं मात्र Injection ARV के आगे ही रिमार्क पर Hospital Supply अंकित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया पर भी संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। संबंधित स्वास्थ्य संस्था में Injection ARV के पेशेन्ट को लगाने वाले रिकार्ड अनुसार चिकित्सक का लिखा हुआ Prescription उपलब्ध नहीं करा पाए एवं जो रिकार्ड से क्रास मैच भी नहीं हुए है। कुछ Prescription नमूने देखे गए जो की Prescription format अनुसार नहीं पाए गए।

- एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आया कि, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितरंगी में निरीक्षण के दौरान एक ओ.पी.डी. पर्ची, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर 29096 दिनांक 08 सितम्बर, 2019 अंकित था। जिस पर चिकित्सक द्वारा भी उक्त दिनांक 08 सितम्बर, 2019 को ही जारी होना बताया गया जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, भण्डारण/वितरण में अत्यधिक अनियमित्ता बरती गई एवं आगामी तिथि की भी ओ.पी.डी. पर्चियां बनाकर रख दी गई। **(संलग्न)**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर जिला सिंगरौली का निरीक्षण दिनांक 23 जुलाई, 2019 को किया गया जिसके निरीक्षण बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संस्था में निरीक्षण करने पर स्टोर का स्टॉक निल पाया गया।
- संबंधित संस्था के ओ.पी.डी. वार्ड में मात्र 38 वॉयल मौके पर पाए गए।
- निरीक्षण में चिकित्सक द्वारा लिखा गया Prescription एवं पेशेन्ट की रिकार्ड पंजी संधारित नहीं पायी गई। इंजेक्शन कक्ष में पेशेन्ट को इंजेक्शन लगाए जाने का रिकार्ड नहीं पाया गया।
- ओ.पी.डी. में Prescription के आधार पर मरीजों को दवा वितरण कक्ष से सीधे ही Injection ARV हेण्डओवर किया जा रहा था। जो Injection ARV के बाहर जाने हेतु संशय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में कंपाउंडर के कथन लिए गए जो संलग्न है।
- Prescription Slip एवं दवा वितरण रिकार्ड Mismatched थे। Injection ARV के पेशेन्ट को खांसी/सर्दी के मरीज के रूप में तथा खांसी/सर्दी के मरीज को Injection ARV के रूप में पंजी में एन्ट्री पायी गई।
- Prescription रिकार्ड संधारित नहीं पाया गया।

निष्कर्षः उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर परिलक्षित होता है कि, जिला सिंगरौली के निरीक्षण के दौरान Injection ARV के भण्डारण/वितरण में जिला स्तर से लेकर नीचे की स्वास्थ्य संस्थाओं तक लापरवाही बरती गयी, जिससे आम जनमानस को उक्त सुविधा की लाभ मिलने से वंचित होना पडा एवं Injection ARV की Crisis की स्थिति उत्पन्न हुई। जिसके लिए जिला स्तर से लेकर अधिनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। उपरोक्त को देखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा गठित दल द्वारा की जाती है।

जिला सिंगरौली के निरीक्षण पश्चात् स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि, जिस प्रकार संपूर्ण प्रदेश में Injection ARV की Crisis देखने को मिल रही है उसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी Injection ARV के भण्डारण एवं वितरण हेतु औचक निरीक्षण किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे कि लोकहित में आम जनमानस को उक्त सुविधा का लाभ निःशुल्क एवं प्रभावी रूप से मिल सके।

उक्त स्थिति निर्मित ना हो इस हेतु औषधियों पर बार–कोडिंग करते हुए सप्लाई चैन मॉनिटिरिंग करना अत्यधिक आवश्यक है एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में औषधियों के भण्डारण एवं वितरण ऑनलाईन औषधि सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक स्तर पर औषधियों की अद्यतन स्थिति पर नजर रखी जा सके।

संलग्नः दस्तावेजों की सूची पृष्ठ क्रमांक 01 से 91 तक।

(हरीश गुप्ता)
प्रबंधक (लॉजिस्टिक)
म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल

(अतुल कुलकर्णी)
प्रोजेक्ट मैनेजर
सी–डैक,पी.एम.यू.सेल, भोपाल

(डॉ. हेमन्त कुमार पंचोली)
महाप्रबंधक (उपार्जन)
म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि. भोपाल